न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
86 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	24.09.2021	17.10.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन निवासी मेन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेश किराणा स्टोर मैन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304024

2—मैसर्स नरेश किराणा स्टोर मैन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304024

3—श्री जीतेश साहू पुत्र श्री बाबूलाल साहू निवासी श्री दातार भवन, रैगरों का मोहल्ला, मदनरामपुरा, सांगानेर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री दातार ट्रेडर्स, मुहाना मण्डी रोड, मदनरामपुरा सांगानेर जयपुर राज0। पिनकोड—302009

4—मैसर्स श्री दातार ट्रेडर्स, मुहाना मण्डी रोड, मदनरामपुरा सांगानेर जयपुर राज.। पिनकोड—302009

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी अनुपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 17.10.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 27.11.2020 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स नरेश किराणा स्टोर मैन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन अपने प्रतिष्ठान नरेश किराणा स्टोर मैन मार्केट ककोड तह. उनियारा पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व मसाले व अन्य खाद्य प्रदार्थ का कराबोर करते हुए उपस्थित मिला, श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ 40 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 400—400 ग्राम पैक **नमकीन (श्री गोल्ड जैन बाक्स)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्टेट
टोंक

निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं **नमकीन (श्री गोल्ड जैन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2020 थी, **नमकीन (श्री गोल्ड जैन ब्राण्ड)** के 4 पैक वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन (श्री गोल्ड जैन ब्राण्ड)** के 400–400 ग्राम पैक के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2707 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2707 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री नन्दलाल जैन मैसर्स नरेश किराणा स्टोर मैन मार्केट ककोड तह. उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया परन्तु बाद में कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मैसर्स दातार ट्रेडर्स, मुहाना मण्डी रोड, मदनरामपुरा सांगानेर जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4401 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/2290/एक्ट/2020/485 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन (श्री गोल्ड जैन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री नरेश जैन दिनांक 16.11.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं उसके बाद से लगातार अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं0 3 व 4 को बार–बार रजि0 नोटिस जारी करने के बावजूद भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 22.08.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन (श्री**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोल्ड जैन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नमकीन (श्री गोल्ड जैन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्राथी संख्या–1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं.–3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक